सॅ0 1106 /XXIv(1) /2016–03/2012 टी0सी0

प्रेषक,

रंजना,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 22 नवम्बर, 2016

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–लेखा–स्था0/28240/2014–15 दिनांक 16.03.2016 एवं पत्रांक–01(14)/लेखा–स्था0/9555/भ0नि0/2016–17 दिनांक 23.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु आगणन सहित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

2– विभागीय प्रस्तावानुसार आगणन रू0 5.00 करोड़ से अधिक होने के दृष्टिगत वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.06.2007 में निहित प्राविधानुसार मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2016 को सम्पन्न बैठक में व्यय वित्त समिति द्वारा योजना आगणन रू0 1025.99 लाख लागत (सिविल कार्यो हेतु रू0 747.12 लाख +अधिप्राप्ति हेतु रू0 278.87 लाख) को अनुमोदित किया गया है।

3– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के भवन निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 1025.99 (सिविल कार्यो हेतु रू0 747.12 लाख +अधिप्राप्ति हेतु रू0 278.87 लाख) लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष अनुदान सॅ0–11 के अन्तर्गत उक्त भवन के निर्माण हेतु आयोजनागत पक्ष में वर्ष 2016–17 में की गयी बजट व्यवस्था रू0 40.00 **(रूपये चालीस लाख मात्र)** लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु 3Approved निर्माताओं या उनके Authorised Distributor से कोटेशन प्राप्त करने के उपरान्त या निविदा के माध्यम से न्यूनतम दरों पर कार्य कराया जाय।

(2) कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सॅ0–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U.अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)वर्तमान परिदृश्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु

....2/..

Building के संबंध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस संबंध में Tata Energy Research Institute (TERI) द्वारा जारी Guide line/Representative designs of energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(4)सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा–सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि। स्वीकृत आगणन/लागत में 10 KVA. 180 V का Solar Photo voltaic Pannel तथा Solar Inverter व Tubular Battery सम्मिलित है।

(5)Rain Water harvesting का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(6)निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L.Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

(7)कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से Vet अवश्य करा लिया जाय।

(8)Electrical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि, Toilet items, wood items आदि की Market Survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम निर्माता या उनके Authorised Distributor के Quotations प्राप्त कर Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेंट मदों की लागत रू0 3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली–2008 (यथा संशोधित 2015) के अनुसार की जाय।

(9) आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगें जो अपरिहार्य मदें हैं। यह सही हैं कि मदें डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता के देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मदों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

4– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा द्वितीय अनुपूरक मांग के प्रस्ताव में प्रस्तर–5 में प्राविधानित लेखाशीर्षक में निदेशालय भवन निर्माण हेतु समुचित धनराशि की मांग समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायेगें ताकि इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर समय से पूरा हो सके।

5– उक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01 सामान्य शिक्षा, 201–प्रारम्भिक शिक्षा, 05–प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण –प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सॅ0–140(P)/XXVII(3)/2016–17 दिनांक 15–11–2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(रंजना)
अपर सचिव

...3/...

संं0 1106 (i)/XXIV(1)/2016–03/2012, टी0सी0/ तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2–निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
5–महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
6–मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,देहरादून।
7–जिलाधिकारी, देहरादून
8–मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
9–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
12–वित्त अनुभाग–5
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

22-1-16

(नन्दन सिंह बिष्ट)
अनु सचिव